प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय श्री प्रशांत कुमार मिश्रा , न्यायमूर्ति

रिट याचिका (227), क्रमांक: 2199 / 2011

आलोक सिंह

बनाम

नरेश कुमार कौशिक एवं अन्य

निर्णय / आदेश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दिनांक: 12 जून, 2012 को सूचीबद्ध करे

सही

प्रशांत कुमार मिश्रा

न्यायमूर्ति

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय श्री प्रशांत कुमार मिश्रा, न्यायमूर्ति

रिट याचिका (227), क्रमांक: 2199 / 2011

याचिकाकर्ता आलोक सिंह

बनाम

उत्तरवादी नरेश कुमार कौशिक एवं अन्य

भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत रिट याचिका

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थिति:

श्री प्रतीक शर्मा अधिवक्ता याचिकाकर्ता की ओर से।

श्री राजीव श्रीवास्तव अधिवक्ता उत्तरवादी क्रमांक 1 की ओर से।

श्रीमती मीना शास्त्री अधिवक्ता उत्तरवादी क्रमांक 3 की ओर से।

श्री वी.वी.एस. मूर्ति उप-महाधिवक्ता राज्य/ उत्तरवादी क्रमांक 17 एवं 18 की ओर से

निर्णय / आदेश

(12.06.2012)

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत यह रिट याचिका 'संचालक पंचायत, छत्तीसगढ़ रायपुर' (छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के अधीन एक निर्वाचन अधिकरण द्वारा दिनांक 13.04.2011 (अनुलग्नक पी-1) को पारित आदेश को चुनौती देने के लिए प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा निर्वाचन अधिकरण ने **उत्तरवादी** क्रमांक 1 द्वारा **प्रस्तुत की** गई प्रारंभिक आपत्ति

को स्वीकार कर लिया है और याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन याचिका (चुनाव याचिका) को खारिज कर दिया है।

2. निर्विवाद रूप से, याचिकाकर्ता और **उत्तरवादी** क्रमांक 1 से 6 ने जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 3, बिल्हा, जिला बिलासपुर के सदस्य पद के लिए दिनांक 03.02.2010 को आयोजित चुनाव लड़ा था, जिसमें **उत्तरवादी** क्रमांक 1 को निर्वाचित घोषित किया गया था। उक्त निर्वाचन को आक्षेपित करते हुए **याचिकाकर्ता ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993** की धारा 122 के अंतर्गत निर्वाचन याचिका मुख्य रूप से इस आधार पर प्रस्तुत किया कि जब **उत्तरवादी** क्रमांक 1 वर्ष 2000 से 2005 की अवधि के दौरान ग्राम पंचायत परसदा के सरपंच थे, तब उन्हें अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत आदेश दिनांक 30.03.2002 के माध्यम से पद से हटा दिया गया था । हालांकि, वह अतिरिक्त कलेक्टर, बिलासपुर द्वारा दिनांक 15.04.2002 को दिए गए स्थगन आदेश के आधार पर अपने पद पर बने रहे । अंततः **दिनांक** 22.02.2005 को उनकी अपील खारिज कर दी गई और **उत्तरवादी** क्रमांक 1 द्वारा कोई अगली अपील या पुनरीक्षण प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण, उनका निष्कासन आदेश अंतिम रूप से प्रभावी हो गया । इसके बावजूद, किसी भी पंचायत चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य और अपात्र होने के बाद भी, उन्होंने अपना नामांकन पत्र भरा जिसे निर्वाचन अधिकारी द्वारा गलत तरीके से स्वीकार कर लिया गया, अतः उनका निर्वाचन निरस्त किए जाने योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, निर्वाचन अधिकरण ने छत्तीसगढ़ पंचायत (निर्वाचन याचिकाएँ, भ्रष्ट आचरण और सदस्यता के लिए अयोग्यता) नियम, 1995 के अनुसार विचारण आयोजित किए बिना निर्वाचन याचिका को खारिज करके गंभीर अवैधता की है, क्योंकि न तो विवाधक विरचित किए गए और न ही पक्षों को साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया। **उत्तरवादी** क्रमांक 1 द्वारा दायर प्रारंभिक आपत्ति को स्वीकार करते हुए निर्वाचन याचिका को

सरसरी तौर पर खारिज कर दिया गया है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि आक्षेपित आदेश का आधार विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित निष्कासन आदेश के विरुद्ध अतिरिक्त कलेक्टर से अंतरिम आदेश का लाभ प्राप्त करने के बाद, **उत्तरवादी** क्रमांक 1 को यह तर्क देने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि आक्षेपित आदेश के प्रभावी रहने के दौरान अयोग्यता जारी रही।

4. दूसरी ओर, **उत्तरवादी** क्रमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेश का समर्थन किया है।

5. विचारणीय एकमात्र **विधि** प्रश्न यह है कि अधिनियम की धारा 40 के तहत प्रदान की गई छह वर्ष की अयोग्यता की अवधि उस तिथि से प्रभावी होगी जब **उत्तरवादी** क्रमांक 1 को सरपंच के पद से हटाया गया था, या छह वर्ष की उक्त अयोग्यता उस तिथि से शुरू होगी जब अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा उनकी अपील खारिज कर दी गई थी, जिसकी लंबित अवधि के दौरान निष्कासन के आदेश के क्रियान्वयन पर स्थगन प्रभावी था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. स्वीकृत रूप से, **उत्तरवादी** क्रमांक 1 को अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिलासपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.03.2002 के माध्यम से सरपंच के पद से हटाया गया था। धारा 40 की उप-धारा (2) यह प्रावधान करती है कि ऐसा व्यक्ति जिसे सरपंच के पद से हटाया गया है, इस अधिनियम के तहत निर्वाचित होने के लिए छह वर्ष की अवधि के लिए अयोग्य होगा। छह वर्ष की उक्त अवधि प्रारंभ में निष्कासन की तिथि यानी 30 मार्च 2002 से शुरू हुई थी। हालांकि, अनुविभागीय अधिकारी ने स्वयं दिनांक 01.04.2002 के आदेश द्वारा निष्कासन के आदेश पर रोक लगा दी थी और उसके बाद अतिरिक्त कलेक्टर, बिलासपुर (जिनके समक्ष **उत्तरवादी** क्रमांक 1 ने अपने निष्कासन के आदेश को चुनौती देने के लिए अपील प्रस्तुत की थी) ने दिनांक 15.04.2002 को स्थगन प्रदान

कर दिया। अंततः यह अपील **दिनांक** 22.02.2005 को खारिज कर दी गई। अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह प्रदर्शित करे कि अपील खारिज करने के इस आदेश को छत्तीसगढ़ पंचायत (अपील और पुनरीक्षण) नियम 1995 के सुसंगत प्रावधानों के तहत किसी उच्च अधिकारी के समक्ष चुनौती दी गई है, और इस प्रकार उनकी अपील को खारिज करने वाला आदेश और परिणामतः निष्कासन का आदेश अंतिम हो गया। निर्वाचन अधिकरण ने इस आधार पर निर्वाचन याचिका को खारिज करते हुए आक्षेपित आदेश पारित किया है कि छह वर्ष की अयोग्यता की अवधि 30 मार्च 2002 से शुरू होगी, यानी वह तिथि जिस दिन अनुविभागीय अधिकारी ने अधिनियम की धारा 40 के तहत आदेश पारित किया था, न कि **दिनांक** 22.02.2005 से, जिस तिथि को अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा उनकी अपील खारिज की गई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. इस न्यायालय के मतानुसार , निर्वाचन अधिकरण का उक्त तर्क पूरी तरह से गलत है क्योंकि जब अतिरिक्त कलेक्टर के समक्ष अपील लंबित रहने के दौरान **उत्तरवादी** क्रमांक 1 के पक्ष में स्थगन आदेश प्रभावी था, तब उस अंतरिम आदेश के प्रभावी रहने के दौरान उन पर कोई अयोग्यता लागू नहीं हो रही थी। अतः, यह नहीं कहा जा सकता कि अयोग्यता की अवधि 30 मार्च 2002 से प्रभावी होनी शुरू हो जाएगी। इस संबंध में, सर्वोच्च न्यायालय के **श्री चामुंडी मोपेड्स लिमिटेड बनाम चर्च ऑफ साउथ इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन सीएसआई सिनोड सेक्रेटेरियट, मद्रास, (1992) 3 SCC 1** के मामले में दिए गए निर्णय का लाभप्रद संदर्भ लिया जा सकता है, जिसमें निर्णय के पैरा 10 में निम्नलिखित व्यवस्था दी गई है:

> "चुनौती के अधीन आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाने वाले अंतरिम आदेश के प्रभाव पर विचार करते समय, आदेश को रद्द करने और आदेश के क्रियान्वयन पर रोक के बीच अंतर किया जाना आवश्यक है। किसी आदेश को रद्द करने का परिणाम उस स्थिति की बहाली होती है जो रद्द किए

गए आदेश के पारित होने की तिथि पर मौजूद थी। हालांकि, किसी आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाने से ऐसा परिणाम नहीं निकलता है। इसका अर्थ केवल यह है कि जिस आदेश पर रोक लगाई गई है, वह स्थगन आदेश पारित होने की तिथि से प्रभावी नहीं होगा, और इसका अर्थ यह नहीं है कि उक्त आदेश का अस्तित्व ही समाप्त हो गया है।"

(बल दिया गया)

उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित उपरोक्त विधिक स्थिति से यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि जब **उत्तरवादी** क्रमांक 1 के पक्ष में प्रारंभ में स्वयं **अनुविभागीय अधिकारी** द्वारा और उसके बाद अपीलीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश प्रभावी था, तब निष्कासन का आदेश प्रभावी नहीं था। इसलिए, अयोग्यता की अवधि 30 मार्च 2002 से प्रारंभ नहीं हुई होगी, और निर्वाचन अधिकरण आक्षेपित आदेश में इसके विपरीत निष्कर्ष दर्ज करते हुए पूरी तरह से अनुचित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. पुनः, स्टाइल (ड्रेस लैंड) बनाम केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ और अन्य (1999) 7 उच्चतम न्यायालय 89 के मामले में निर्णय के पैरा 15 में निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

"15. उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन की अवधि के लिए ब्याज दिए जाने के संबंध में यह तर्क दिया गया है कि जैसा कि 'साहिब सिंह' मामले में ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया गया था, अपीलकर्ताओं पर ब्याज भुगतान का दायित्व नहीं डाला जा सकता था और यह कि 18% प्रति वर्ष की दर

अत्यधिक और बेतहाशा थी। यह विधि का एक स्थापित सिद्धांत है कि जब भी कोई पक्ष न्यायालय से स्थगन के लिए आवेदन करता है और उसे प्राप्त करता है, तो यह हमेशा आवेदन करने वाले पक्ष के और जिम्मेदारी पर होता है। स्थगन का आदेश पारित होने मात्र से मुकदमेबाजी करने वाले पक्ष को किसी अतिरिक्त अधिकार के प्रदान किए जाने का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। इस न्यायालय ने 'श्री चामुंडी मोपेड्स लिमिटेड बनाम चर्च ऑफ साउथ इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन' में यह व्यवस्था दी है कि न्यायालय द्वारा आदेश के उक्त हिस्से का अर्थ केवल यह है कि ऐसा आदेश इसके पारित होने की तिथि से प्रभावी नहीं होगा। इसका अर्थ यह नहीं होगा कि जिस आदेश पर रोक लगाई गई है, वह अस्तित्व से मिट गया है। किसी मामले के निपटारे तक दिया गया स्थगन आदेश मूल कार्यवाही के खारिज होने के साथ ही समाप्त हो जाता है और ऐसे मामलों में न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह पक्षों को उसी स्थिति में वापस ले आए जिसमें वे न्यायालय के अंतरिम आदेशों के अभाव में होते। पुनः 'कानोरिया केमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज'"लिमिटेड बनाम यू.पी. एस.ई.बी. के मामले में, न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि स्थगन प्रदान करने का प्रभाव मुकदमेबाजों को उनके उस दायित्व से मुक्त करना नहीं था, जिसके तहत उन्हें रिट याचिका अंततः खारिज होने पर रोकी गई राशि पर ब्याज सहित विलंब शुल्क का भुगतान करना था। इसके विपरीत मानना सार्वजनिक नीति और न्याय के हितों के विरुद्ध होगा। कश्यप ज़िप इंडस्ट्रीज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में, न्यायालय के आदेश के तहत स्थगन की अवधि के लिए राजस्व विभाग को ब्याज प्रदान किया गया था, क्योंकि यह

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पाया गया कि याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय के आदेशों के तहत शुल्क के भुगतान को रोककर उसका लाभ उठाया था।"

(बल दिया गया)

उपरोक्त 'स्टाईल के मामले में निर्णय के उद्धृत अंश को पढ़ने से अब यह है कि जब किसी मामले के **निराकरण** तक दिया गया स्थगन आदेश मूल कार्यवाही के **निराकरण** के साथ समाप्त हो जाता है, तो ऐसे मामले में न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह पक्षों को उसी स्थिति में वापस ले आए जिसमें वे न्यायालय के अंतरिम आदेशों के अभाव में होते। इसके अतिरिक्त, स्थगन का अंतरिम आदेश मुकदमेबाज को उस दायित्व या उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं करेगा जिसे भुगतने के लिए वह उस आदेश के तहत बाध्य था जिसे न्यायालय द्वारा रोका गया था; और इसके विपरीत मानना सार्वजनिक नीति और न्याय के हित के विरुद्ध होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

यदि इस **विचारण** को वर्तमान **प्रकरण** में लागू किया जाए और यह मान लिया जाए कि अयोग्यता की अवधि 30 मार्च 2002 से शुरू होगी, तो इसके विनाशकारी परिणाम होंगे, जिससे धारा 40 की उप-धारा (2) में निहित वैधानिक प्रावधान पूरी तरह से निरर्थक हो जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तरवादी क्रमांक 1 ने एक अंतरिम आदेश प्राप्त किया और काफी लंबी अवधि तक उसका लाभ उठाया, जिससे वह अगले चुनाव में किसी भी अयोग्यता का सामना नहीं करेगा। इस प्रकार, वह अपने स्वयं के अपने ही कार्यों का लाभ प्राप्त करने की स्थिति में होगा, जबकि उसके विरुद्ध निष्कासन का आदेश और परिणामी अयोग्यता प्रभावी थी, जो केवल स्थगन आदेश के कारण रुकी हुई थी।

9. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, इस न्यायालय को यह निर्धारित करने में कोई संकोच नहीं है कि छह वर्ष की अयोग्यता की अवधि **उत्तरवादी** क्रमांक 1 के विरुद्ध **दिनांक** 22.02.2005 से प्रभावी होगी, जब अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा उनकी अपील खारिज कर दी गई थी। निर्वाचन अधिकरण, अर्थात संचालक पंचायत, छत्तीसगढ़ शासन ने आक्षेपित आदेश द्वारा निर्वाचन याचिका को सरसरी तौर पर खारिज करके विधि की गंभीर त्रुटि की है। परिणामस्वरूप, आक्षेपित आदेश निरस्त किए जाने योग्य है और इसे एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। संचालक, पंचायत अब गुण-दोष के आधार पर निर्वाचन याचिका के विचारण की कार्यवाही आगे बढ़ाएंगे और इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत होने की तिथि से 4 माह की अवधि के भीतर निर्वाचन याचिका में अंतिम आदेश पारित करेंगे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. परिणामतः, यह रिट याचिका उपरोक्त निर्देशों/**अवलोकन** के साथ आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। **वाद व्यय** के संबंध में कोई आदेश नहीं।

हस्ताक्षर

प्रशांत कुमार मिश्रा

न्यायमूर्ति

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Ms Mamta Gupta Adv